न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :— 2/2012

दायर दिनांकः— 04/01/2012

निर्णय दिनांकः—15/07/2015

1:— श्री कलजी पिता श्री सेंगा डामोर जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी नांदिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1:— श्री शंकर पिता श्री हुरमा पारगी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी राजवेडा घांटी खोताफला तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

2:— श्रीमान राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार साहब तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

—प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209, रा0टी0 एक्ट बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी डामोर मीणा जाति का व प्रतिवादी नंबर 1 पारगी मीणा जाति का होकर अलग—अलग गांव के निवासी है।. वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की संवत् 2066 से 69 खाता संख्या 41 नयी 30 पुरानी के सर्वे नंबर 4163/239 कुल खेत नंग एक कुल रकबा आठ बीघा कुल लगानी 6 रुपया 80 पैसा मौजा नांदिया पटवार हल्का नादिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज. मे स्थित है। वादी उक्त खसरा नंबर पर काबिज है । उक्त खेत पर वादी का शांति पूर्वक ढंग से कब्जा काश्त होकर वादी फसल इत्यादी प्राप्त करता आ रहा है। वादी ने इस वर्ष चौमासा मे मक्की,उदड की फसल प्राप्त की है एवं वादी ने उक्त खेत पर कॉफी रुपया खर्च कर जे.सी.बी. मशीन के माध्यम से खेती योग्य, उपजाउ व समतल बनाया है साथ ही आम के छोटे — छोटे वृक्ष भी लगाये है। प्रतिवादी नं.1 पास के गांव का है तथा वादी को डरा धमकाकर उक्त भूमि को जबरन हडपना चाहता है व उक्त खाते की जमीन के कुछ भाग पर निर्णय कार्य करने उतारु है। जिस कारण विगत 15 दिन से प्रतिवादी आये दिन वादी से लडाई—झगडा करता आ रहा है व वादी से उक्त खेत को लेकर दुश्मनी रखता है।

दिनांक 01.01.2012 को दिन मे लगभग 10 — 11 बजे प्रतिवादी न.1 अन्य लोगो को लेकर नाजायज तौर से हथियोरो से लेस होकर वादी के उक्त खेत पर आया व जबरन जे.सी. बी.मशीन से उक्त खेत के पश्चिमी भाग पर मकान निर्माण करने के आशय से नीवं खोद दी व वादी के साथ काफी झगडा किया व कहने लगा की तुम लोग खेत से भाग जाओ तुम्हे खेती नही करने देगे व इस जमीन की रजिस्ट्री हमारे पक्ष मे नही की तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को मार डालगे ऐसा कहता हुआ जान से मारने की धमकी देने लगा व काश्त करने मे रुकावट पैदा करने लगा । जिस कारण वादी ने प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध पुलिस थाना चितरी मे कार्यवाही दिनांक 02.01.2012 को की है जो कार्यवाही विचाराधीन है। प्रतिवादी न.1 का उक्त खाते के खेत पर व खेत के किसी भी भाग पर कोई हक, अधिकार या आधिपत्य नही है तथा प्रतिवादी न. 1 गैर कानुनी तरीके से वादी का खेत का हिस्सा खोस लेना चाहता है व निर्माण कार्य करने को उतारु है। वादी को काश्त करने मे नाजायज बाधा व रुकावट पैदा कर हा है जिस कारण प्रतिवादी न0 1 को बजरीये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

है। प्रतिवादी न0 1 को उक्त खेत में प्रवेश करने व वादी को काश्त मे रुकावट करने से ये स्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो वादी को असीम क्षति होगी जिसका मुल्याकंन रुपयो मे नही हो सकेगा ।वाद कारण 01.01.2012 को दिन में लगभग 10–11 प्रतिवादी न01 द्वारा उक्त खेत के सम्बन्ध मे वादी के साथ लडाई झगडा व वाद विवाद करने के कारण व प्रतिवादी न0 1 द्वारा वादी को खेती करने मे रुकावट पैदा करने के कारण वाद हेतु उत्पन्न हुआ है तथा दावा अन्दर म्याद पेश है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जावे कि वादी के वाके मौजा नादिया पटवार हल्का नादिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज0 के संवत् 2066 से 69 खाता संख्या 41 नयी 30 पुरानी के सर्वे नंबर 4163/239 कुल खेत नंग एक कुल रकबा आठ बीघा की भूमि पर प्रतिवादी न0 1 न तो स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार , अपने किसी एजेंट , मजदुर के साथ प्रवेश नही करे नही वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का दखल व रुकावट पैदा नही करे ।

वादी द्वारा अपने साक्ष्य मे जमाबन्दी संवत् 2066 – 2069 मौजा नादिया खाता संख्या 41 खसरा संख्या 4163/239 रकबा 8 बीघा की प्रमाणित प्रतिलिपि(Ex1) पेश की गवाह के रुप कलजी पिता सेंगा डामोर निवासी नादिया (वादी) का शपथ–पत्र (PW1) व राजेन्द्र पंचाल पिता धनजी पंचाल निवासी नादिया (PW2) का शपथ–पत्र पेश किए । साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए। प्रतिवादी द्धारा अथवा वकील प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर साक्ष्य प्रदर्शित न करने पर दिनांक 01.04.15 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी सं. 1 – आया मौजा नादिया के संवत् 2066 से 69 खांता न 41 नयी 30 पुरानी के सर्वे नम्बर 4163/239 रकबा 8 बीघा भूमिवादी के खाते है , उस पर प्रतिवादी नीवे खोदकर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है –

–वादी–

निर्णय – वादी द्वारा अपने साक्ष्य मे वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 4163/239 मौजा नादिया की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमे उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज होकर वादी खातेदार काश्तकार है। वादी के बयान के अनुसार वादी पास के गांव का होकर उक्त भूमि हडपना चाहता है । अन्य गवाह राजेन्द्र पिता धनजी पंचाल के अनुसार प्रतिवादी द्धारा वादी के खेत मे जे.सी.बी. चलाई है तथा आपस मे विवाद हुआ है चूंकि वादी – वादग्रस्त आराजी का खातेदार – काश्तकार है अतः तनकी का निर्णय होकर वादी विरुद्ध प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी सं. 2 – आया प्रतिवादी शंकर अपनी पैतृक खातेदारी शुदा भूमि खाता नंबर 387 नई 297 पुरानी खसरा संख्या नं. 238 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर नीव खोदकर मकान बना रहा है।

–प्रतिवादी–

निर्णय – प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब मे यह कथन किया किय प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात पर अपना मकान न बनाकर खसरा संख्या 238 जो उसकी खातेदारी है , उस पर मकान निर्माण कर रहा है। प्रतिवादी द्धारा अपने पिता के नाम से खातेदारी तथा कब्जे शुदा जमीन जिस पर प्रतिवादी काबिज है खाता नं. 387 नई , 297 पुरानी खसरा नं. 238 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा पर मकान की नीव खोदी है। प्रतिवादी जिस भूमि पर अपना मकान बना रहा है उसके आसपास न तो वादी की खातेदारी भूमि है और न ही कब्जे शुदा भूमि है। प्रतिवादी द्वारा इस दावे का समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत न ही किया है अतः तनकी का निर्णय बहस वादी विरुद्ध प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी सं. 3 – आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर मकान की नीवे नही खोदकर पैतृक भूमि ख.न. 238 पर नीवें खोदकर मकान बना रहा है अतः वाद चलने योग्य नही है

–प्रतिवादी–

Scanned by CamScanner

6

निर्णय – पूर्व तनकी के अनुसार ही अपने दावे के सम्बन्ध मे प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमे उसके दावे की पुष्टि हो अतः तनकी का निर्णय बहस वादी विरुद्ध प्रतिवादी किया जाता है।

दादरसी – प्रकरण मे वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि , वह वादी के मौजा नादिया पटवार हल्का नादिया के संवत् 2066 – 69 के खाता संख्या 41 नया 30 पुराना के खसरा संख्या 4163/239 रकबा आठ बीघा पर अतिक्रमण न करे एवं कब्जे काश्त मे दखल नही करे । इस आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय कर ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner